

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसवा जिला-दीपा
 प्रकरण नुनवान :- मोक्ष वर्ग, बनाम सीमा देवी वर्ग
 प्रकरण संख्या 176/2023 दावा तफासला व शर्तें


नम्बर व तारीख अर्ह
 जो इस हुक्म की ता
 में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17-12-23

पत्रावली पेश की। इंतजाल नाम
 में 12-12-23 को पेश की।



पत्रावली पेश की। वकीलों द्वारा कार्य
 स्पष्ट रूप से कार्य में व्यस्त
 होने से जज को तारीख पेशी हो गई गत
 आदेश की पालना में दिनांक... 19.12.24
 को पेश हो।
 हस्ताक्षर रीडर

उपखण्ड अधिकारी
 बसवा (दीपा)

8-2-24

पत्रावली पेश की। इंतजाल नाम
 में 21-3-24 को पेश की।

21-3-24

पत्रावली पेश की। पत्रावली इंतजाल
 लक्ष्मी ने आ. ता. 29-4-24 को
 पेश की।

29-4-24

पत्रावली पेश की। इंतजाल
 लक्ष्मी ने आ. ता. 23-5-24
 को पेश की।

2.5.2024

पत्रावली वादीगण प्रार्थीगण द्वारा स्वयं का दावा पत्रावली
 तलब करने हेतु पेश किया, जिसके क्रम में पत्रावली को न्यायालय
 पटल पर रखा गया। वादीगण द्वारा मय एडवोकेट श्री मकेश
 शर्मा के उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना-पत्र पेश किया
 कि वादीगण की उक्त पत्रावली आगामी तारीख 23.5.24
 में नियत है। किंतु वादीगण लोक अदालत की भावना से
 प्रेरित होकर अब इस दावा पत्रावली को आगे नहीं चलाना
 चाहते हैं एवं न्यायहित में वादीगण इस दावा पत्रावली को
 विहो करना चाहते हैं, निहाय उन्हें पत्रावली विहो की
 अनुमति प्रदान की जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रो. पत्र को
 स्वीकार करके, प्रकरण विहो की अनुमति प्रदान की जाती है
 पत्रावली को थारिज किया जाकर, दाखिल दफ्तर किया
 जाता है। पत्रावली थारिज होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
 बसवा (दीपा)



3-5-24
 लक्ष्मी देवी

मोक्ष वर्ग
 बनाम
 सीमा देवी
 2-5-24